A13

संख्या– 135 (RR500) /XII–2/2016/01(06)/2016

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायती राज एवम् ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग–2 **देहरादून दिनांक 27 अक्टूबर, 2016**

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग के अधीन अधिष्ठान मदों में पुनर्विनियोग की स्वीकृति विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–450/लेखा–बी–4/2014 दिनांक 19 अगस्त, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में ग्रामीण निर्माण विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुश्रवण परिषद की स्थापना की विभिन्न अधिष्ठान मानक मदों में **रू0 15.10 लाख (रू0 पन्द्रह लाख दस हजार मात्र)** की धनराशि ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजनेत्तर पक्ष की मानक **मद सं0–16–व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद** में संलग्न बी0एम0–9 प्रपत्र के विवरणानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :–

1. उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश सं0–847/XXVII(1)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016 एवं सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा–निदेशों के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय भुगतान हेतु ही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह भी शर्त होगी कि आउटसोर्स पर नियुक्त कार्मिकों की संख्या सृजित पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी।
3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिशित किया जाय।
4. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
5. आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
6. आहरण वितरण अधिकारीं तथा कोषाधिकारी को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी0एम0–प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
7. उक्त धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिष्ठान आवश्यकतानुसार फान्ट अपने स्तर से किया जाय।
8. उक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर आवश्यकतानुसार मासिक व्यय सारणी बनाकर ही किया जाय।
9. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर जारी/जारी होने वाले मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों को ध्यान में रखकर किया जाय तथा व्यय आवंटित धनराशि की सीमा तक रखा जाय।
10. धनराशि का उपभोग दि0 31.03.2016 तक अवश्य कर लिया जाय।

11. विभाग में स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह की स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना अद्यतन करते हुए तत्सम्बन्धी आख्या निर्धारित प्रपत्रों पर शासनादेशों की प्रतियों सहित वित्त एवं नियोजन विभाग के साथ प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के स्वीकृत आय–व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या–19 के लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–00–800–अन्य व्यय–11–ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग की मानक मद सं0–16 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के अन्तर्गत किया जायेगा।
13. यह आदेश वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012 दि0 28 मार्च, 2012 के अधीन सॉफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट **नम्बर S1610190280** से जनरेट कर एवं वित्त विभाग अनुभाग–4 के अशासकीय पत्र सं0–61(NP)/XXVII–4/2016 दिनांक 21अक्टूबर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या–135 (1)/XII–2/2016/01(06)/2016, तद्दिनांकित. (REGD)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर–1, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. डाटा सेन्टर, लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, RES (S039)

आवंटन पत्र संख्या - 135 (RRBOD) /XII-2/2016/01(06)/2016 अलोटमेंट आई डी - S1610190280

अनुदान संख्या - 019 आवंटन पत्र दिनांक -25-Oct-2016

HOD Name - Director Rural Roads & Drainage (4201)

1: लेखा शीर्षक 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 00 -

800 - अन्य व्यय

11 - ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज

00 - -

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	2070000	0	2070000
03 - महंगाई भत्ता	3094000	0	3094000
04 - यात्रा व्यय	100000	0	100000
06 - अन्य भत्ते	420000	0	420000
08 - कार्यालय व्यय	1100000	0	1100000
09 - विद्युत देय	120000	0	120000
10 - जलकर / जल प्रभार	60000	0	60000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	220000	0	220000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1000000	0	1000000
13 - टेलीफोन पर व्यय	100000	0	100000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्र	200000	0	200000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	500000	1510000	2010000
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्व	150000	0	150000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	100000	0	100000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	50000	0	50000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50000	0	50000
42 - अन्य व्यय	100000	0	100000
44 - प्रशिक्षण व्यय	100000	0	100000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	500000	0	500000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	100000	0	100000
	10134000	**1510000**	**11644000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 1510000